न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 611/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मैनादेवी धर्मपत्नी हरजीराम पुत्री तेजाराम, जाति सिरवी, निवासी– बाला, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।		1 श्रीमति सुखडी देवी पुत्री स्व नन्दाराम पत्नी ओगड राम, जाति सिरवी, निवासी– बाला, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 2 लाबूराम पुत्र ढगलाराम 3 मंगलाराम पुत्र ढगलाराम 4 मांगीलाल पुत्र ढगलाराम जाति सिरवी, निवासी– भावी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 5 तेजाराम पुत्र नन्दाराम जाति सिरवी, निवासी– बाला, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 6 सरपंच ग्राम पंचायत बाला, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिलाडा, जोधपुर। 8 हरजीराम पुत्र श्री रामलाल सीरवी निवासी– बाला तहसील बिलाडा 9 श्रीमती मोहनी पत्नी नारायणराम सीरवी निवासी– राठौडों का बास, ग्राम बाला, तहसील बिलाडा, 10 श्रीमती अनिता पत्नी हरजीराम सीरवी, निवासी– राठौडों का बास, ग्राम बाला, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.08.2017 जो तहसीलदार बिलाडा द्वारा रिमाण्ड पत्रावली संख्या 5/2017 का निर्णय करते हुए पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री मदललाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो संख्या 7 की ओर से।
4– श्री गौतम, श्री हेमन्त परमार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 से 10 की ओर से।
5– रेस्पो0 संख्या 5, 6 बावजूद नोटिस तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 12–12–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला में खसरा संख्या 529 रकबा 05.01 बीघा, खसरा संख्या 676 रकबा 10.05 बीघा, खसरा संख्या 713/10 रकबा 04 बीघा, 713/2 रकबा 13.04 बीघा, खसरा संख्या 715 रकबा 29 बीघा, खसरा संख्या 715/1 रकबा 09.19 बीघा, खसरा संख्या 736/5 रकबा 16.06 बीघा कुल खसरा 07 कुल रकबा 87 बीघा 15 बिस्वा आई हुई है। जिसकी खातेदारी अपीलार्थी मैनादेवी के दादा नन्दाराम के नाम थी। श्री नन्दाराम के देहान्त के पश्चात उसके पुत्र तेजाराम के नाम फोतेदगी नामान्तरण संख्या 1182 ग्राम पंचायत बाला द्वारा स्वीकृत किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

फौतेदगी नाना0 संख्या 1182 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या एक सुखडी देवी ने माननीय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष धारा 75 एलआर एक्ट के अन्तर्गत अपील पेश की जो अपील दिनांक 26–04–2017 को आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार बिलाडा को विधिक वारिसो की जांच कर आवश्यक सुनवाई के आदेश दिये गये। उक्त उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के आदेश से व्यथित होकर दिनांक 26–04–2017 को प्रत्यर्थी संख्या 5 ने सम्भागीय आयुक्त न्यायालय, जोधपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जिस पर प्रकरण संख्या 75/2017 में तेजाराम के पक्ष में तारीख पेशी 10–5–17 को स्थगन आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित कर दिया। सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 10–5–17 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या एक सुखडी देवी ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की। उक्त निगरानी में प्रत्यर्थी संख्या एक सुखडी देवी ने तेजाराम से मिलीभगत कर एक राजीनामा प्रस्तुत करवा दिया। उक्त राजीनामें के आधार पर उक्त मूल प्रकरण पुनः तहसीलदार बिलाडा को निगरानी/टीए/8952/2012/जोधपुर निर्णय दिनांक 25–7–2017 नियत करते हुए तहसीलदार, बिलाडा को इस निर्णय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे उक्त राजीनामें की पूर्ण रूप से जांच करते हुए राजस्व रेकर्ड का परीक्षण कर उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त प्रकारण का निस्तारण करवाए। तत्पश्चात राजस्व मण्डल, अजमेर न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार बिलाडा द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 21–8–2017 को आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि में प्रत्यर्थी संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो निरस्त करने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवम् वाकियाती भूल की है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को निर्णित करने में न्याय व न्याय की प्रक्रिया की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है। जिस आदेश में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया था उसमें अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10–05–2017 में प्रार्थी ने सशपथ बयान हेतू समय चाहा, उसके आगे की तारीख 4–5–2017 को लाबूराम, मांगीलाल, मंगनाराम, सुखडी, नारायणराम, शंकरलाल, ओगड राम ने शपथपत्र प्रस्तुत किये जिनके बयान लिये, ऐसा आदेशिका में वर्णित है जिसमें प्रकरण का दर्ज रजिस्टर किया गया है जबकि रिमाण्ड प्रार्थना पत्र की आदेशिका दिनांक 5.5.2017 में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया है। जबकि उक्त प्रकरण को दर्ज करने से एक दिन पहले ही शपथ पत्र व बयान लेने का वर्णन आदेशिका मे है। इससे यह स्वष्ट होता है कि उक्त तमाम शपथपत्र व हस्ताक्षर पूर्व में करवाकर रखे हूए थे तथा आनन फानन मे बिना कोई तामिल हुए अगली पेशी मे प्रस्तुत कर दिये।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि राजस्व मण्डल अजमेर के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 26–7–2017 को रिमाण्ड किया गया, उसके पश्चात दिनांक 03–08–2017 को उक्त आदेश शामिल मिसल किया गया और नोटिस जारी करने व विधिवत सुनवाई का आदेश का ऐसा लिखा गया परन्तु आदेशिका के हासिये में कहीं पर भी नोटिस जारी करने की इबारत नहीं लिखी गयी। इसके पश्चात राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार रिमाण्ड प्रकरण में पारित आदेशानुसार कोई समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया और प्रकरण को दिनांक 21–08–2017 को निस्तारण कर दिया। उल्लेखित प्रकरण में राजस्व मण्डल न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई और न ही राजीनामें की जांच और गवाहो के बयान लिये गये, ना ही जिरह करने का अवसर किसी पक्षकार को दिया। तहसीलदार के द्वारा आनन–फानन व मनमर्जी से उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। अपीलार्थी का नाम रेकर्ड से हटा दिया जो कि नहीं हटा सकते थे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को उसके पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा ग्राम बाला की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 529 रकबा 5.01 बीघा, खसरा नम्बर 676 रकबा 10.05 बीघा, खसरा नम्बर 713/10 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 713/2 रकबा 13.04 बीघा, खसरा नम्बर 715 रकबा 29 बीघा, खसरा नम्बर 715/1 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा, ख0सं0 736/5 रकबा 16.06 बीघा कुल खसरा 07 रकबा 87 बीघा व 15 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी व तेजाराम के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा है, को उसके पिता श्री तेजाराम ने अपीलार्थी मैना देवी के हक में दिनांक 28–04–2016 को रजिस्टर्ड बख्शीशनामा निष्पादित कर बख्शीश कर दी। उक्त भूमि मैं मैना देवी काबिज व काश्त तथा परिवार सहित रहवास कर रही है। उक्त बख्शीशनामा उप पंजीयक बिलाडा, जोधपुर के यहां दिनांक 28–04–2016 पंजीबद्व किया गया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 2297 ग्राम बाला स्वीकृत हो गया और अपीलान्ट का नाम बहैसियत खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है। जब से अपीलार्थीया का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि राजस्व मण्डल अजमेर में जो राजीनामा पेश हुआ वो अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में हुआ। जिस बाबत् अपीलान्ट की कोई सहमति नही थी और तथा न ही अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा तेजाराम से मिलीभगत कर राजीनामा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही इस प्रकार का राजीनामा काबिल तस्दीक के था। रजिस्टर्ड बख्शीशनामें के आधार पर स्वीकृत नामा0 को निरस्त नहीं किया जा सकता । बख्शीशनामा आज भी प्रभाव में है जिसको सुपरसिड नही किया जा सकता। तथाकथित राजीनामे में अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही होने से उसके पिता तेजाराम के द्वारा भी राजीनामा प्रस्तुत नही किया जा सकता है। क्योकि उनके स्वयं के अधिकार समाप्त हो चुके थे, इसलिये वो कानूनी रूप से अधिकृत नहीं थे। इन कानूनी बिन्दूओं को न्यायालय द्वारा परिशीलन ही नहीं नजर अन्दाज कर तहसीलदार ने मिलीभगत कर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनायें नामा0 स्वीकृत कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार के आदेश से नामा0 स्वीकृत किया जाना सम्भव ही नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। जब प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया उस समय अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद था उसके बावजूद पक्षकार नही बनाकर बाले बाले उक्त आदेश पारित करवाया है जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। रिमाण्ड प्रकरण मे जिन बिन्दूओं के आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड किया है उन बिन्दूओ पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है तथा प्रकरण को दर्ज करने नोटिस जारी करने की रिपोर्ट पत्रावली का आदेश करने अगली ही पेशी मे पक्षकार उपस्थित भी हो गये जबकि न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस जारी ही नही किये गए है ना ही नोटिस जारी करने की इबारत आदेशिका के हासिये में लिखी गयी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रकरण मे विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में श्री तेजाराम द्वारा उक्त भूमि को अपनी पुत्री को बख्शीश किये जाने का वर्णन है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपीलार्थी को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही नोटिस देकर सूचित किया गया और प्रकरण का एकपक्षीय रूप से निस्तारण कर दिया, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अपीलाार्थी के खातेदार होने व उनका हक–हिस्सा होने का विवेचन किया है तो उसको सुनवाई का अवसर नही देना न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्तो के विपरित होने से आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण मे अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया था ना ही सुनवाई का नोटिस दिया। अपीलार्थी को इसकी कोई जानकारी नही थी। हाल ही में दिनांक 08–09–2017 को हल्का पटवारी के पास नकल लेने गई तब उनके द्वारा बताया कि आपका फोतेदगी म्यूटेशन निरस्त होने से राजस्व रेकर्ड से नाम हट गया है। तब सर्वप्रथम अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई उसके पश्चात अपीलार्थी ने प्रकरण के निर्णय की प्रति हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार कार्यालय से दिनांक 3–10–2017 को प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 1–10–2017 को प्राप्त हुई। उक्त निर्णय की प्रति अपने अधिवक्ता को पढाकर पता किया तो पता चला। तत्पश्चात उक्त प्रकरण की अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार बिलाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–2017 को निरस्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायीं जावें।

अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु संलग्न म्याद प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शाये है, उनके आधार पर अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 25.07.2022 को लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। जिसमें अपील में वर्णित कथनों के अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित हुई घटनाओं/सिविल/न्यायिक कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में कथन किये गये,अपीलार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 अपनी पत्नि माडकी के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि पर पिछले 30 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है। तेजाराम के द्वारा

अपीलान्ट के पति हरजीराम को घरजनाई बनाकर अपनी सेवा-श्रुसुत्ता हेतु अपने साथ में रखा। अपीलार्थी एवं उनके पति तेजाराम की सेवा करते आ रहे है। तेजाराम के द्वारा उक्त वर्णित भूमि का बख्शीशनामा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया था जिसके कम में नामा0 संख्या 2297 दिनांक 6.10.2016 को स्वीकृत हुआ तथा राजस्व रेकर्ड मे उनका नाम दर्ज हुआ जो आज दिन तक प्रभाव में है। अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या एक के मकान चिपते हुए ही है। अपीलार्थी के पति व रेस्पो0 के पुत्र के मध्य आपसी कहासुनी होने पर ग्राम पंचायत द्वारा राजीनामा करने एवं तेजाराम को दण्ड राशि 1,11,000/-जमा कराने हेतु कहा गया। जिसके विरूद्ध तेजाराम द्वारा पुलिस थाना, बिलाडा में मुदकमा दर्ज कराया। अनुसंधान अधिकारी ने मिलीभगती कर मुकदमें में एफआर लगवा दी जो एसीजेएम कोर्ट, बिलाडा में पेश की जो एतराज याचिका हेतु विचाराधीन रही। इस कारण से रेस्पो0 संख्या 1 ने नाराजगी रखते हुए फौतेदगी नामा0 संख्या 1182 के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवाडा का पेश करवाया तथा तेजाराम की ओर से निष्पादित बख्शीशनामें को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बिलाडा में दावा दिनांक 28.4.16 को पेश किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया तथा एसडीएम कोर्ट में इस्तागासा पुलिस से सांठ-गांठ कर पेश करवाया। बख्शीशनामा के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या 20/2016 को उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा दिनांक 14.9.16 को खारिज कर दिया। तब रेस्पो0 संख्या एक द्वारा रेस्टो. प्रार्थना पत्र पेश किया जो भी दिनांक 27.9.17 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई। रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। एक अन्य फौजदारी मुकदमा संख्या 171/2016 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान एफ.आर. अदम वकू झूठ में एसीजेएम, बिलाडा के समक्ष पेश की जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने अपीलार्थी का तेजाराम की जमीन पर पिछले 30 वर्षो से कब्जा काश्त होना माना। जिसकों न्यायालय द्वारा दिनांक 9.9.21 को स्वीकार किया। इस आधार पर बख्शीशनामा को सही व वैध माना।

उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा मांगीलाल के मार्फत रेस्पो0 संख्या 1 से सांठ-गांठ कर वादग्रस्त भूमि को आदेश दिनांक 11.7.19 द्वारा कूर्क किये जाने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, जोधपुर में फौजदारी निगरानी पेश की जिसके नम्बर 29/2019 है। उक्त निगरानी न्यायालय द्वारा दिनांक 20.9.19 द्वारा स्वीकार कर दिनांक 11.7.19 को निरस्त कर दिया।

माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई निगरानी संख्या 2803/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.7.17 में भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 84 'ए' के विपरित जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया। उन्हें सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के द्वारा जारी स्थगन आदेश के सम्बन्ध में ही निर्णय देना था। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 तेजाराम को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का राजीनामा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उनके द्वारा भूमि को अपीलार्थी को बख्शीश कर दी थी। एक अन्य राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निगरानी संख्या 817/2021 रेस्पो0 संख्या 5 तेजाराम के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिलाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.17 की पालना व प्रभाव को स्थगित किये जाने के विरूद्ध पेश की गई जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रस्तुत निगरानी को धारा 84 'ए' के संधारण योग्य नहीं माना। ऐसे मे एक तरफ एक निगरानी स्वीकार होती है और दूसरी निगरानी अस्वीकार की गई थी जो मिलीभगती दर्शाता है।

अपीलार्थी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई निगरानी संख्या 2803/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.7.17 के विरूद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका पेश की गई जिसके दर्ज नम्बर 16719/2017 है। उक्त याचिका में माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.8.2020 को निर्णित किया तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.7.2017 के प्रभाव को समाप्त कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिलाडा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.8.17 निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी में पारित निर्णय में तहसीलदार बिलाडा राजीनामा की पूर्ण रूप से जॉच करते हुए राजस्व रेकर्ड का परीक्षण कर उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करें, का निर्देश दिया था परन्तु तहसीलदार बिलाडा द्वारा न तो राजीनामा की कोई जॉच की व न ही राजस्व रेकर्ड का परीक्षण किया, न ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया, न ही नोटिस दिया गया, जबकि अपीलार्थी विवादित भूमि की रेकर्डेड खातेदार व हितबद्ध पक्षकार होने से आवश्यक पक्षकार थी। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामें को सिविल न्यायालय द्वारा जब तक निरस्त नहीं किया जाता है तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व वाद पोषणीय नहीं हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बख्शीशनामें को अपीलार्थी के पक्ष में 1/3 तक प्रवर्तनीय मानते हुए अपीलाधीन पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बख्शीशनामे के आधार पर स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 2297 के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश में कोई फाइन्डिंग नहीं दी है।

इसके अतिरिक्त रेस्पो0 तेजाराम की पत्नि माडकी जो मांगीलाल की सगी भुआ है एवं अपीलान्ट की माता है। नामा0 संख्या 58 ग्राम पंचायत, बाला के द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के सक्षम प्रथम अपील संख्या 03/2021 पेश की, जिसमें मांगीलाल पक्षकार है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा दिनांक 31.5.22 को निर्णय पारित कर खारिज कर दी। जिसमें अंकित किया कि ख0सं0 818 रकबा 25.09 बीघा में रेस्पो0 संख्या 6 एवं उसकी माता चुनीदेवी पत्नी मोतीराम द्वारा 02.18 बीघा की भूमि का बेचान दिनांक 10.6.08 को तथा 07.18 बीघा भूमि को दिनांक 10.6.08 को किया जा चुका है। ऐसे में खसरान भूमि में से 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 3 व 10 के पक्ष में निष्पादित कर दी है तथा रेस्पो0 संख्या 6 व उसकी माता चुन्नीदेवी का भूमि में कितने हिस्से की भूमि का बेचान करने का हक था, नामा0 एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है ऐसे अधिकार मात्र दावे में ही तय हो सकते है अतः अपील खारिज की जाती है।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों समान प्रकरण में अलग–अलग मत मांगीलाल से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मिलीभगती व सांठ–गांठ कर दिये गये है। उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के पद पर अलग–अलग समय पर पदस्थापित अधिकारियों द्वारा अलग–अलग मत रखे गये है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने सिविल न्यायालय में पेश हुए प्रकरणों की छायाप्रतियॉ भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायालय हाजा के समक्ष निर्णय नजीरें प्रस्तुत की गई यथाः– 2016 (2) डीएनजे पेज 485, 2016 (1) डीएनजे पेज 432, 2018 (2) डीएनजे पेज 221, 2010 (2) आरआरडी पेज 365, 2016 (2) डीएनजे पेज 477, आरआरटी 2020 (1) पेज 508, आरआरडी 2009 पेज 751, आरआरटी 2014 (2) पेज 1266, आरबीजे 2018 पेज 287, आरआरडी 2006 पेज 549, आरआरडी 2008 पेज 508, 2013 (1) डीएनजे पेज 262, आरआरडी 2005 पेज 85, आरआरडी 1989 पेज 45, आरआरडी 2004 पेज 774, आरआरटी 2019(2) पेज 1206, आरआरटी 2016 (2) पेज 1206, आरआरटी 2016 (2) पेज 1110, आरआरटी 2016 (2) पेज 1139, आरआरटी 2008 पेज 644, एआईआर 1998 पेज 2276, आरआरडी 2009 पेज 453

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिलाडा के द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण संख्या 05/2017 अनवान सुखडीदेवी बनाम लाबूराम वगैराह में जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2017 पारित किया है, वो उनके द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने कें उपरान्त विधि अनुकूल पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्देशों के क्रम में तहसीलदार बिलाडा ने उपरोक्त प्रकरण को दर्ज किया गया तथा स्व0 नन्दाराम के विधिक वारिसान की जॉच रिपोर्ट मंगवाई जाने का आदेश दिया गया। उक्त उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के आदेश से व्यथित होकर दिनांक 26–04–2017 को प्रत्यर्थी संख्या 5 ने सम्भागीय आयुक्त न्यायालय, जोधपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर सम्भागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 को स्थगन आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित कर दिया। सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 10–5–17 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या एक सुखडी देवी ने राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर में निगरानी पेश की गई। जिस निगरानी प्रकरण में रेस्पो0 संख्या एक सुखडी देवी एवं तेजाराम की ओर से एक राजीनामा प्रस्तुत किया। उक्त राजीनामें के आधार पर उक्त मूल प्रकरण पुनः तहसीलदार बिलाडा को निगरानी/टीए/8952/2012/जोधपुर निर्णय दिनांक 25–7–2017 नियत करते हुए तहसीलदार, बिलाडा को इस निर्णय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे उक्त राजीनामें की पूर्ण रूप से जांच करते हुए राजस्व रेकर्ड का परीक्षण कर उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त प्रकारण का निस्तारण करवाए।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तत्पश्चात राजस्व मण्डल, अजमेर न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार बिलाडा द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर लिया सम्बन्धित पक्षकारान को सुने

जाने एवं उनके बयान आदि लिये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तेजाराम,लाबूराम,मांगीलाल,मंगलाराम,सुखडी, ने शपथपत्र प्रस्तुत किये जिनके बयान लिये, तथा सभी पक्षकारों द्वारा गैर स्टाम्प पर नामा0 दर्ज करने हेतु तस्दीकशुदा सहमति पत्र पेश किया गया जिसे पत्रावली के संलग्न किया गया।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त राजीनामा दस्तावेज दिनांक 16.6.17 जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 तथा उनकी बहन फूलीदेवी का रेकर्ड में नाम इन्द्राज करने बाबत अंकित किया हुआ दर्शाया गया। जिसके लिये पक्षकारान ने सहमति प्रकट की थीं। इसके अतिरिक्त उक्त वादग्रस्त भूमि में श्री तेजाराम का 1/3 हिस्सा ही बनता था। ऐसे में श्री तेजाराम के द्वारा निष्पादित किये गये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा में केवल मात्र उनके हक–हिस्से तक की ही भूमि बख्शीश की जा सकती थी। तहसीलदार बिलाडा के द्वारा स्व0 श्री नन्दाराम के सभी विधिक वारिसान की जॉच करवाते हुए जॉच रिपोर्ट ग्राम पंचायत बाला के द्वारा तस्दीक करवाते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये मुझ रेस्पो0 सुखडी का 1/3 हिस्सा, लाबूराम, मंगलाराम, मांगीलाल पिसरान फुलीदवी पत्नी ढगलाराम का 1/3 हिस्सा, तेजाराम पुत्र नन्दाराम का 1/3 हिस्सा (तेजाराम द्वारा भूमि का बख्शीश कर दिये जाने पर उनके स्थान पर 1/3 हिस्से में मैनादेवी पुत्री तेजाराम पत्नी हरजीराम के नाम) का नामा0 दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानों के बराबर–बराबर हक–हिस्से करते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। जो बहाल रखे जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस, अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन/अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, निर्णय नजीरों तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रथम राजस्व अपील संख्या 16/2016 में निर्णय पारित करते हुए अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा0 संख्या 1182 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि स्व0 नन्दाराम के विधिक वारिसानों की जॉच कर पुन सुनवाई कर नये सिरे से नामा0 स्वीकृत करें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय राजस्व अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में पेश की गई जिसमें माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.05.2017 को अन्तरिम आदेश पारित किया गया। उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या एलआर/2803/2017/जोधपुर अनवान सुखडी देवी बनाम लाबूराम पेश हुई। उक्त निगरानी प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 25.07.2017 को पारित निर्णय किया जिसके जरिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष उभय पक्षकारान की ओर

से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.06.2017 को प्रकरण के साथ तहसीलदार बिलाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि तहसीलदार बिलाडा उक्त राजीनामा की पूर्ण रूप से जॉच करते हुए एवं राजस्व रेकार्ड का परीक्षण कर उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करें।

जिसके कम में तहसीलदार, बिलाडा द्वारा उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 21.08.2017 को आदेश पारित किया गया। तहसीलदार बिलाडा के द्वारा पारित आदेश अनुसार "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत स्व0 नन्दाराम के देहान्त के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान उनकी दो पुत्रिया सुखडी व फूली देवी भी है, जैसा कि पटवारी हल्का बाला ने स्व0 नन्दाराम के विधिक वारिसानों की जॉच रिपोर्ट दिनांक 21.8.2017 में स्व0 नन्दाराम के एक पुत्र तेजाराम व दो पुत्रियां सुखडी व फुली का होना स्पष्ट तौर से बताया है, जो जॉच रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत बाला द्वारा तस्दीकशुदा है। हल्का पटवारी बाला को निर्देश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बाला तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि ख0सं0 529 रकबा 05.01 बीघा, ख0सं0 676 रकबा 10.05 बीघा, ख0सं0 713/10 रकबा 04 बीघा, ख0सं0 713/2 रकबा 13.04 बीघा, ख0सं0 715 रकबा 29 बीघा, ख0सं0 715/1 रकबा 9.19 बीधा, ख0स0 736/5 रकबा 16.06 बीघा कुल सात खसरा कुल रकबा 87 बीघा 15 बिस्वा में सुखडी पुत्री स्व0 नन्दाराम का 1/3 हिस्सा, लाबूराम, मंगलाराम, मांगीलाल पिसरान फुलीदेवी पत्नी ढगलाराम का 1/3 हिस्सा, तेजाराम पुत्र नन्दाराम का 1/3 हिस्सा (अगर तेजाराम द्वारा भूमि का बख्शीश कर दिया है तो तेजाराम पुत्र नन्दाराम के 1/3 हिस्से की भूमि के स्थान पर मैनादेवी पुत्री तेजाराम पत्नी हरजीराम का 1/3 हिस्सा माननीय उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2016 में पारित आदेश अनुसार माना जावे) का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सरपंच ग्राम पंचायत बाला द्वारा स्व0 नन्दाराम के वारिसान का तस्दीकशुदा प्रमाण पत्र उपलब्ध है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व तहसीलदार कार्यालय बिलाडा में राजीनामा तस्दीक किया गया है। हितबद्ध पक्षकारान के बयान भी पत्रावली पर है तथा राजीनामा, बयानात पर स्वयं तेजाराम के हस्ताक्षर है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिलाडा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर मनन करने व विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बिलाडा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश, दिनांक 21.08.2017 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर